

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या-03/बजट-01-25/2025/...../आ0प्र0

सेवा में,

महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार,  
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना-23, दिनांक-

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-02-101-0002-  
खाद्यान्न की आपूर्ति के अंतर्गत कुल रु० 1.905 लाख (एक लाख नब्बे हजार पाँच  
सौ रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

- इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति, माँग संख्या-39, विपत्र कोड-39-2245021010002 में विषय शीर्ष-21 03-आहार/पथ्य के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- पूर्व/वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी निम्न प्रकार हैं-

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	जिला	2245-02-101-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति 39-2245021010002 विषय शीर्ष-21 03-आहार/पथ्य (अगलगी के मददेनजर)		आवंटन का कुल योग
		पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	
1	दरभंगा	3.205	1.905	5.11

- उक्त आवंटित राशि से जिला पदाधिकारी, दरभंगा के ज्ञापांक-352757 दिनांक-20.01.2026 के द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में अगलगी के मददेनजर सामुदायिक रसोई संचालन हेतु व्यय किया जाएगा।
- आवंटित की गई राशि की निकासी **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाएगी।
- यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561वि0 (2) दिनांक-17.4.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(संदीप कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-03 / बजट-01-25 / 2025 / 244 / आ0प्र0, पटना-23 दिनांक- 17-03-26

प्रतिलिपि-

1. वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
7. आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को विभागीय Web Site पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



विशेष कार्य पदाधिकारी